

Sch. XIV-F.No. 180V

जिला का नाम

अनुमण्डल का नाम पाण्ड

अंचल का नाम

नाम सर्कल। नाम मौजा मय

थाना वो थाना नम्बर 403-128

V रसीद मालगुजारी
फरद मालकी/फरद रैयती ~~मालगुजारी~~
नाम रैयत मय वल्लियत जमाबन्दी
वो सकुनत नम्बर। JB 1092656
41

खाता संख्या	खेसरा संख्या 9872	
594/9	1328 vide Mutation, Fard No 1961/1412	
अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
0-2-5	W.P. 2011-12	

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबद	सालाना	बकाया				11-12 हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा	उरा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	
2011-12						
माल } (नकदी)	025					025
गुजारी } (भावली)	006					006
सेस	013					013
*सूद	013					013
मुतफरकात	020					020
मीजान						077

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबद	बकाया				11-12 मौतालबा हाल	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	उरा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष		
माल } (नकदी)					025	
गुजारी } (भावली)					006	
सेस					013	077
*सूद					013	
मुतफरकात					020	
मीजान अदायकारी					077	

- (1) मीजान कुल (लफजों में) ~~अदायकारी~~
- (2) नाम देहिन्दा - 1
- (3) कुल बकाया-

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुन्दि

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

कपड-वाही

Seh XIV F. No. 180V

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

लगान रसीद



V

जिला का नाम }
 अनुमण्डल का नाम } 4118
 अंचल का नाम }
 मौजा } 4118/28
 थाना वी थाना नम्बर }

रसीद क्रमांक JH 30 A000386
 रस्यत का नाम
 पिता का नाम
 जमाबन्दी नम्बर 9872

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
594/3	1828	0.02-05

चौत की सालाना मांग एवं मांग का विवरण (बकाया एवं बन्द) चालू वर्ष का

मांग	वार्षिक	3 वर्ष से ज्यादा	2 वर्ष	विगत वर्ष	1614-15
हाल					
2014-15					
लगान	0.25			0.50	0.25
सेस	0.06			0.12	0.06
*ब्याज	0.12			0.24	0.12
विविध	0.12			0.24	0.12
योग	0.20			0.40	0.20

0.75 भुगतान का विवरण 1.50 0.75

अदायगी	झारखण्ड सरकार			हाल	अग्रिम
	3 वर्ष से ज्यादा	2 वर्ष	विगत वर्ष		
लगान			0.50	0.25	1
सेस			0.12	0.06	1
*ब्याज			0.24	0.12	0.20
विविध			0.12	0.12	1
योग			0.40	0.20	

- कुल योग शब्दों में 1.50 0.75 0.20
- नाम अदाकर्ता 2.45
- कुल बकाया

(हस्ताक्षर)
 7/9/11 (हल्का कर्मचारी)
 हस्ताक्षर एवं दिनांक

* खास महाल का बकाया प्रलगावुत्तरी पर (सिवाय ऐसे बकायों जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।